65

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-11/14/11/बी/2001   भोपाल, दिनांक 13-12-2001

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग,
2. उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि. भोपाल।
4. श्री श्याम कुमार, अवर सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग,
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल।

विषय:- दिनांक 21.11.2001 को श्रीमति वीनू सेन अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण।

औद्योगिक विकास केन्द्र मण्डीदीप को औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित शासकीय भूमि को वन भूमि बताये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29.11.2001 को श्रीमती वीनू सेन अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(एम.एस. ...)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

2901
21.12.01

पृ.क्रमांक एफ-11-14/11/बी/2001   भोपाल, दिनांक 13.12.2001

प्रतिलिपि:-
निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Secretary GM
2.1.12

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

MANAGING DIRECTOR
M.P.A.K.V.N. (B) LTD.
BHOPAL
2/9/13

पुष्प 12/13/2001

66

29/11/01

कार्यवाही विवरण

दिनांक 29/11/2001 को श्रीमती बीनू सेन, अपर मुख्य सचिव, वा उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही विवरण

बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

(1) श्री के. सुरेश, उद्योग आयुक्त,

(2) श्री एस.आर. मोहंती, प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी.,

(3) श्री रतन पुरवार, अपर सचिव वन, विभाग

(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह, उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,

(5) श्री राजवर्धन श्रीवास्तव, अपर संचालक उद्योग,

(6) श्री एस.सी. जैन, प्रबंध संचालक, एम.पी.ए.के.वी.एन. भोपाल.

औद्योगिक विकास केन्द्र मण्डीदीप की औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरित शासकीय भूमि को वन मण्डलाधिकारी द्वारा वन भूमि बताये जाने संबंधित सम्पूर्ण परिस्थिति एवं उसका औद्योगिक गतिविधियों पर तत्काल कोई विपरीत प्रभाव न पड़े पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

(1) मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत 560.41 एकड़ शासकीय भूमि जिसे वन विभाग द्वारा अधिसूचना के अन्तर्गत चिन्हित माना गया है, को गैर वन भूमि हेतु अधिसूचित करने की कार्यवाही तत्काल की जाये। यह कार्यवाही वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से पूर्ण करवाई जायेगी। इस हेतु वन विभाग भी सहमत है।

(2) यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप के अंतर्गत आने वाली वन भूमि का सीमांकन/चिन्हिकरण महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, प्रबंध संचालक म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल, वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाये कि वास्तव में कितनी वन भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित हुई है, ताकि वन भूमि की सीमा औद्योगिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से रेखांकित हो सकें एवं इस भूमि के एवज में वन हेतु अन्य भूमि की व्यवस्था की जा सके। इस संबंध में कलेक्टर रायसेन को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अनुरोध किया जायेगा।

हस्ता०/-

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

MANAGING DIRECTOR
M.P.A.K.V.N.(B)
BHOPAL

{3} वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रश्नाधीन स्थल की भूमि विभाग को तत्समय विधिवत हस्तान्तरित की गई थी जिसे विकसित कर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु आवंटित किया गया है एवं प्रायः इस सम्पूर्ण भूमि में बहुत पूर्व से ही बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं । ऐसी स्थिति में वन विभाग को यह निवेदन किया जायेगा कि प्रश्नाधीन भूमि को गैर वन भूमि घोषित करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जावे एवं वर्तमान औद्योगिक गतिविधि एवं भविष्य के लिये नियोजित कार्य योजना पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

17/1/2001